सुरक्षा

रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ चलती गाड़ियों में अपराध की रोकथाम और उसका पता लगाना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का सांविधिक दायित्व है। इस उद्देश्य के लिए, संबधित राज्यों में 'रेल राज्य पुलिस' (जीआरपी) नाम से एक अलग विंग कार्य कर रहा है। रेलवे संबंधित राज्यों की जीआरपी पर राज्य द्वारा किए गए व्यय का 50 प्रतिशत वहन करती है। इस प्रकार, रेलवे परिसरों और गाड़ियों की सुरक्षा राज्यों द्वारा जीआरपी के माध्यम से की जाती है। साथ ही, रेलपथों, पुलों और सुरंगों की सुरक्षा स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है।

सबंधित राज्यों के साथ रेलवे सुरक्षा की लागत में 50:50 के आधार पर भागीदारी करने के साथ-साथ रेलवे, रेल सुरक्षा बल जो रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, के माध्यम से यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने में राज्यों के प्रयासों में भी सहायता करती है।

रेलवे संपत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए रेल सुरक्षा बल का गठन वर्ष 1957 में संसद के एक अधिनियम अर्थात् रेसुब अधिनियम, 1957 द्वारा एक सांविधिक बल के रूप में किया गया था। वर्ष 1985 में रेल सुरक्षा बल अधिनियम में आशोधन किया गया और रेल सुरक्षा बल को संघ के सशक्त बल के रूप में घोषित कर दिया गया। वर्ष 2003 में रेल सुरक्षा बल अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया (रेल अधिनियम, 1989 के साथ) और यात्रियों तथा यात्री क्षेत्र की सुरक्षा को इसकी ड्यूटियों की परिधि में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार, समूची भारतीय रेल पर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह बल वर्ष 2003 से यात्रियों और यात्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्यों के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

वर्ष 2011-12 की तुलना में 2012-13 के दौरान रेल अधिनियम, 1989 और रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम, 1966 के विभिन्न धाराओं के अधीन

प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में रेसुब का तुलनात्मक निष्पादन निम्नानुसार है:

रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामले			
वर्ष	**उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया (लाख में)**	**उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर दोष सिद्ध हुआ (लाख में)**	**वसूली की गई जुर्माने की राशि (₹करोड़ में)**
2011-12	15.26	14.75	47.94
2012-13	**16.56**	**15.62**	**42.12**

आरपी (यूपी) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत दर्ज मामले			
वर्ष	**पता लगाए गए मामलों की संख्या**	**बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य (₹ करोड़ में)**	**गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या**
2011-12	5,772	5.15	7,153
2012-13	**5,811**	**4.06**	**6,967**

वर्ष 2012-13 (जून, 2013 तक) के दौरान आईपीसी अपराधों का पता लगाने में रेसुब का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:-

अपराधों की प्रकृति	**पता लगाए गए मामलों की संख्या**	**गिरफ्तारी**
ड्रग्स के मामले	168	197
सामान की उठाईगिरी	306	360
अवैध हथियार ले जाए जाने के मामले	59	64
चेन झपटमारी के मामले	105	133
जेब काटने के मामले	292	350
निषिद्ध माल का अवैध व्यापार	762	387
महिलाओं के विरूद्ध आपराधिक मामले	75	94
अन्य आपराधिक मामले	448	587
नाबालिग लड़कियों और लड़कों को छुड़ाया गया	5703	

रेल सुरक्षा के लिए विजन 2020:

भारतीय रेल के विजन 2020 में परिकल्पना की गई है कि रेलवे सुरक्षा बल को मजबूत/सशक्त बनाया जाएगा तथा प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन के उपयोग से क्षमता को बढ़ाया जायेगा। संवेदनशील और सुभेद्य स्टेशनों पर चौबीस घंटे निगरानी के लिए एकीकृत सुरक्षा प्रणाली (आईएसएस) का संस्थापन पहले ही चल रहा है। यात्री सुरक्षा को अखिल

भारतीय हेल्प लाइन की स्थापना के साथ अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। हेल्पलाइन परियोजना के अंतर्गत, भारतीय रेल पर यात्रा के दौरान चौबीस घंटे सुरक्षा संबंधी सहायता के लिए यात्रियों को एक यूनिक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया जायेगा। यात्रियों की कॉल केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष में प्राप्त होगी और जरूरतमंद यात्रियों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्र की इकाइयों को भेजी जाएगी। डाटा, फीडबैक और शिकायतों के त्वरित प्रसारण के लिए सुरक्षा नियंत्रण कक्षों और रेसुब चौकी की नेटवर्किंग का कार्य 'रेसुब सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आरएसएमएस) के अंतर्गत प्रगति पर है और 187 स्थानों पर यह पॉयलट परियोजना सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। रेल मंत्रालय ने रेसुब अधिनियम, 1957 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि यात्रियों से संबधित अपराधों से निपटने में रेल सुरक्षा बल को अधिक सशक्त बनाया जा सके।

जनशक्ति को सुदृढ़ बनाना:

रेसुब की स्वीकृत संख्या लगभग 75,000 है जो भारतीय रेल की समूची सीमा में फैली हुई है। रेसुविब/रेसुब में जनशक्ति का सुदृढ़ीकरण और विस्तार किया जा रहा है। उपनिरीक्षकों के 511 पदों को भरने के लिए भर्ती आयोजित की गई है और साथ ही कॉस्टेबलों के 17,087 पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। महिला सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इन पदों का 10 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के जरिए भरा जा रहा है। चार महिला रेसुब कंपनी के सृजन के लिए पदों की स्वीकृति के बारे में संबंधित क्षेत्रीय रेलों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आठ और महिला रेसुब कर्मियों की कंपनी को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

प्रशिक्षण:

इस समय, 13 प्रशिक्षण केन्द्र और लखनऊ में एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई) रेसुब कर्मियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। मानव अधिकारों, महिलाओं से शालीनतापूर्वक व्यवहार करने, किशोर अपराधी न्याय अधिनियम एवं महिला सुरक्षा, जन संपर्क (महिलाओं की सुरक्षा सहित) आदि के विषय, प्रारंभिक तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की शिक्षण सामग्री का भाग हैं ताकि कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जा सके।

विदेशों में रेसुबः

रेसुब कर्मी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तत्वावधान में विदेशों में कोसोवो, सुडान, साइप्रस आदि जैसे देशों में कार्य कर रहे हैं। वे कर्मी अन्य देशों के अलावा चीन, रूस, बांग्लादेश, कीनिया में विदेश मंत्रालय के विदेश स्थित भारतीय मिशनों के जरिए अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

सराहनीय सेवाः

वर्ष 2012-13 के दौरान, 13 रेसुब/रेसुविब कर्मियों ने रेलवे संपत्ति तथा यात्रियों की सुरक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 66 रेसुब कार्मिकों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012 और 2013 के दौरान 03 रेसुब कर्मियों को बहादुरी और 02 रेसुब कर्मियों को सर्वश्रेष्ठ जांच के लिए रेलमंत्री पदक प्रदान किया गया। बल में खेल भावना जागृत करने के लिए नियमित रूप से अंतर विभागीय खेल-कूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। भोपाल में आयोजित 56वें अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी प्रतियोगिता-2012 के दौरान, रेसुब के स्वान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और ''विस्फोटक का पता लगाने'' की कोटि में रजत पदक जीता।

रेलवे ट्रैक पर सुरक्षाकर्मी गश्त लगाते हुए